एम. वी. करुणाकरण

बनाम

कृष्णन (मृतक), जरिये विधिक प्रतिनिधिगण

15 दिसंबर, 2006

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

साझेदारी अधिनियम, 1932

धारा 29 (2) - विघटित साझेदारी के भागीदार के उत्तराधिकारियों के तहत हस्तांतरणकर्ता का अधिकार - दो भाइयों की साझेदारी जो उनमें से एक की मृत्यु के कारण विघटित संपत्ति के सह-मालिक हैं - मृत भागीदार के उत्तराधिकारी जो मुकदमा संपत्ति हस्तांतरित करते हैं - हस्तांतरणकर्ता का अधिकार जिसके कब्जे में संपत्ति के वितरण में बाधा डालने का अधिकार है। पूर्ववर्ती साझेदारी के खिलाफ बकाया की वसूली के लिए एक मुकदमे में डिक्री के निष्पादन में नीलामी खरीदार को कब्जा - अभिनिधा्ररित, साझेदारी रही एक साथी की मृत्यु के बाद विघटित हो गई, उसके उत्तराधिकारी संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते थे, और हस्तांतरणकर्ता को कब्जे में रखे जाने पर नीलामी खरीदार को कब्जे के वितरण में बाधा डालने का अधिकार था - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 21, नियम 97.

दो भाई जो कुछ संपत्ति के सह-मालिक थे, उनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई और इसके साथ ही उक्त साझेदारी फर्म विघटित हो गई। मृतक भागीदार के उत्तराधिकारियों ने एक बिक्री विलेख के माध्यम से वादग्रस्त संपत्ति को प्रतिवादीगण के हितबद्व पूर्ववर्ती को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद एक तीसरे पक्ष ने उक्त साझेदारी फर्म के खिलाफ कुछ राशि की वसूली के लिए दावा दायर किया । उक्त विक्रेता उस दावे का पक्षकार नहीं था। दावा डिक्री किया गया और डिक्री के निष्पादन में अपीलकर्ता को मुकदमे की संपत्ति की नीलामी की गई, जिसने कब्जे की डिलीवरी का दावा किया। बिक्री विलेख के अंतर्गतविक्रेता ने उसमे बाधा डाली और अपीलकर्ता- नीलामी क्रेता ने बाधा को हटाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। निष्पादन न्यायालय ने यह मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि मृत भागीदार के कानूनी उत्तराधिकारी संपत्ति बेच सकते हैं और प्रतिवादी उसके वैध मालिक हैं, नीलामी - क्रेता की अपील को खारिज कर दिया गया था, इसलिए उसकी उसकी दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई।

नीलामी खरीदार द्वारा प्रस्तुत की गई वर्तमान अपील में उनकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी विघटित फर्म के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिला और इस तरह उन्हे प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं था।

अपील में उनकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि विघटित फर्म के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उत्तरदाताओं को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था और इस तरह उन्हें प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं था।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 साझेदारी के अस्तित्व के दौरान किसी साझेदार के किसी संपत्ति को बेचने के अधिकार और पूर्व साझेदार के फर्म के भंग होने के बाद उसकी संपत्ति को बेचने के अधिकार के बीच एक अंतर मौजूद है। वर्तमान मामले में, साझेदारी एक भागीदार की मृत्यु पर भंग हो गई, जिसके उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि, इसलिए, संपत्ति को कम से कम अपने हिस्से की सीमा तक स्थानांतरित कर सकते थे।

अडांकी नारायणप्पा और एक अन्य बनाम भास्करा कृष्णप्पा (मृतक) और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी और अन्य, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1300, को संदर्भित किया।

1.2. नीचे दी गई तीनो अदालतो द्वारा यह तथ्यात्मक रूप से पाया गया है कि मृतक भागीदार के उत्तराधिकारियो और कानूनी प्रतिनिधियो से संपत्ति खरीदने के बाद, प्रतिवादीगण द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था और वे उसमें रह रहे थे जब नीलामी बिक्री प्रभावी हुई। उन्होने कुछ सुधार किये थे और एक नये भवन का निर्माण भी कराया था। चूंकि बिक्री

विलेख निष्पादित और पंजीक्रत होने के बाद मुकदमा दायर किया गया था, इसलिये हितबद्व पूर्ववर्ती प्रतिवादी एक आवश्यक पक्षकार था। उसे दावे में एक पक्षकार नहीं बनाया गया था। जिस तारीख को संपत्ति के ब्जि की डिलीवरी को प्रभावी करने की मांग की गई थी, उस दिन संपत्ति पर उसका कब्जा पाया गया था, एक 'फोर्टियोरी' उसे उसमें बाधा डालने का अधिकार था। [1236-एच ; 1237 - ए - बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 10588/1995

(ई. एस. ए. सं. 4/1983 में केरला उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.10.1988 से ।)

बी. वी. दीपक (एन. पी.), अपीलार्थी के लिए।

सी. एस. राजन, फज़लिन अनम और ई. एम. एस. अनम, प्रतिवादी के लिये।

एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति.

नीलामी खरीदार हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं, जो केरल उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपील में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.10.1988 से व्यथित और असंतुष्ट हैं।

तीन भाई, माधवन, बहुलेयन और करुणाकरन, संपत्ति के मालिक थे। माधवन और बहुलेयन ने "द ट्रस्टफुल डेली बैंकिंग कंपनी" के नाम और शैली के तहत एक साझेदारी शुरू की। दिनांक 26/10/1960 को माधवन की मृत्यु हो गई, वे प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को अपनी कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधियो के रूप में पीछे छोड गये। उनकी मृत्यु के साथ साझेदारी फर्म भंग हो गई। माधवन के कानूनी उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों ने दिनांक 28/5/1963 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये प्रश्नगत संपत्ति को हितबद्व पूर्ववर्ती कृष्णन (मृतक), जो इसमें प्रतिवादीगण है, के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। एक तीसरे पक्ष द्वाराउक्त साझेदारी फर्म के खिलाफ 312.20 रूपये की वसूली के लिये मनी वादा दायर किया गया था। उक्त दावे को मूल दावा संख्या 523/1964 के रूप में पंजीक्रत किया गया था। यह डिक्री किया गया था।

प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि वह उक्त दावे में पक्षकार नहीं था। विचाराधीन संपत्ति उक्त डिक्री के निष्पादन मे नीलामी में बेची गई थी। अपीलकर्ता ने इसे उच्चतम बोली के रूप में 5050/- रूपये में खरीदा था। उक्त बिक्री की पुष्टि की गई। नीलामी क्रेता ने कब्जे की सुपुर्दगी के लिये प्रार्थना की। प्रतिवादी ने इसमें बाधा डाली। अपीलकर्ता द्वारा बाधा हटाने हेतु आवेदन दायर किया गया था। निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 9/10/1979 के निर्णय और आदेश द्वाराउक्त आवेदन को खारिज कर दिया, प्रतिवादी को 590 रूपये 07 पैसे की राशि जमा करने का निर्देश

दिया, अन्य बातो के अलावा, इस आधार पर कि माधवन की मृत्यु पर, साझोदारी भंग हो गई और इसे ध्यान मे रखतेहुये तथ्य यह है कि दूसरा भागीदार साझेदारी परिसंपत्तियो की कुछ वस्तुओ के साथ भी काम कर रहा था, माधवन के कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि संपत्ति बेच सकते थे। इसलिये, प्रतिवादी उसका वैध स्वामी था।

अपीलीय अदालत द्वारा, हालांकि, अपील को खारिज करते हुये यह भी कहा गया कि प्रतिवादी नीलामी क्रेता के साथ संपत्ति का सह मालिक है, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को 590.07 रूपये की राशि जमा करने का निर्देश देना सही नहीं था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ने उक्त निण्रय में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने पर उसे खारिज कर दिया। यह राय दी गई कि साझेदारी भंग होने के बाद,भंग फर्म को बाद में साझेदारी का दर्जा नहीं मिल सकता है।

अपीलार्थी तर्क यह है कि प्रतिवादी विघटित फर्म के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और उन्होने कोई शेयर प्राप्त नहीं किया है। इसलिये, प्रतिवादीगणो को प्रतिरोध प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि माधवन की मृत्यु के बाद साझेदारी समाप्त हो गई। इसलिये, उत्तराधिकारी ओर कानूनी प्रतिनिधि कम से कम अपने हिस्से की सीमा तक संपत्ति हस्तांतरित कर सकते थे।

साझेदारी के अस्तित्व के दौरान किसी साझेदार कि किसी संपत्ति को बेचने के अधिकार और पूर्व साझेदार के फर्म के भंग होने के बाद उसकी संपत्ति को बेचने के अधिकार के बीच एक अंतर मौजूद है।

यह तथ्य तीनों न्यायालयों द्वारा पाया गया है कि माधवन के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधिगण, जो कि यहां प्रतिवादीगण है उक्त संपत्ति को खरीदने के बाद कब्जे में आये और वे उसमें रह रहे थे, जब नीलामी बिक्री प्रभावी हुई थी। उन्होने कुछ सुधार किये थे और एक नसे भवन का निर्माण भी कराया था। चूंकि विक्रय विलेख के निष्पादित और पंजीक्रत होने के बाद दावा दायर किया गया था, इसलिये प्रतिवादी एक आवश्यक पक्षकार था। उसे मामले मे एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। जिस तारीख को संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी को प्रभावी करने की मांग की गई थी, उस दिन संपत्ति पर उसका कब्जा पाया गया था; एक 'फोर्टिओरी, उसे उसमें बाधा डालने का अधिकार था। एक बार प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में स्वामित्व अवरोधक के पास मौजूद पाया जाता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत परिकल्पित बाधा को हटाने के लिये एक आवेदन सही ढंग से अपीलकर्ता के पक्ष में निर्धारित किया गया है।

नीलामी में जो बेचा जा सकता था वह संपत्ति में निर्णय देनदार का अधिकार, शीर्षक और हित था। नीलामी खरीदार का अधिकार, कोई, मामले के तथ्यो और परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुये ऐसी कार्यवाही में कोई

निर्णय नहीं लिया जा सकता था। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 29 में बताया गया है कि किसी भागीदारके अंतरिती का हित क्या होगा। इसकी उपधारा-2 स्थानातरितकर्ता के अधिकार को निर्धारित करती है कि फर्म भंग हो जाती है या यदि स्थानांतरित करने वाला भागीदार उसका भागीदार नहीं रह जाता है। इसलिये, विघटित साझेदारी के पूर्व साझेदार से संबंधितक्रेता के अधिकार को एक स्वतंत्र कार्यवाही में काम करने की आवश्यक थी।

अडांकी नारायणप्पा और एक अन्रू बनाम भास्करा कृष्णप्पा (मृतक) में और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी और अन्य, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1300, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि :

> "साझेदारी की पूरी अवधारणा एक संयुक्त उद्यम शुरू करना और उस खरीद के लिए पूंजीगत धन या यहां तक कि अचल संपत्ति संहित संपत्ति लाना है। एक बार ऐसा हो जाने पर जो कुछ भी लाया जाताहै वह उस व्यक्ति की विशेष संपत्ति नहीं रह जायेगा जो इसे लाता है। यह साझेदारी की व्यापारिक संपत्ति होगी जिसमें सभी भागीदारो को संयुक्त उद्यम में उनके हिस्से के अनुपात में ब्याज मिलेगा। साझेदारी का व्यवसाय, इसलिये, जो व्यक्ति इसे लाया है, वह अपने द्वारा लाई गई किसी भी संपत्ति पर विशेषदावा या प्रयोग करने मे सक्षम नहीं होगा, किसी अन्य

साझेदारी संपत्ति पर तो बिल्कुल भी नही। वह साझेदारी के व्यवसाय मे अपने हिस्से की सीमा तक भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पायेगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि साझेदारी के अस्तित्व के दौरान उसका अधिकार समय समय पर लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त करना है, जैसा कि साझेदारो के बीच सहमति हो सकती है और साझेदारी के विघटन के पश्चात या साझेदारी से उसकी सेवानिवृति के बाद उसके हिस्से के मूल्य का देनदारियो और पूर्व शुल्को की कटौती के बाद समाधान या सेवानिव्रति की तारीख पर शुद्व साझेदारी संपत्ति. . . . . "

यहां हमे मामले पर पूरी तरह से एक अलग कोण से विचार करना होगा। यह ऐसा मामला नही है जहां फर्म के भागीदार संपत्ति के मालिक नहीं थे। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां संपत्ति का स्वामित्व साझेदारी फर्म के पास था। पहले से मौजूद सह मलिको के रूप में साझेदारो के पास संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा था। उन्होने साझेदारी मे व्यवसाय चलाने के लिये केवल अपनी संपत्ति का उपयोग किया।साझेदारी के विघटन पर, संपत्ति में उनका अधिकार पुनजीर्वित हो गया। व्यवसायिक उददेश्य के लिये किसी परिसर का उपयोग करने से स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि सह परिसर साझेदारी फर्म का है।

किसी भी स्थिति में साझेदारी समझौते के नियम और शर्ते ज्ञात नहीं है। ऐसा भी मामला नही है कि साझेदार सह मलिक नहीं रह गये है। यदि साझेदारी के अस्तित्व के दौरान भी उनके पास संपत्ति में अविभाजित हिस्सेदारी बनी रहती है, तो इसके स्वत: विघटन पर उनका कोई हित समाप्त होने का सवाल ही नहीं उठता।

प्रतिवादीगणो का संपत्ति पर कब्जा पाया गया। उसमे उनकी कुछ रूचि भी पाई गई। मामले को ध्यान मे रखते हुये, हम आक्षेपित आदेश में कोई विधिक कमी नहीं पाते।

उपरोक्त कारणों से, हमे आक्षेपित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। कोई खर्च नहीं।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।